निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 ज्येष्ठ 1937 (श0)

(सं0 पटना 663) पटना, बुधवार, 10 जून 2015

जल संसाधन विभाग

————————

अधिसूचना

7 अप्रील 2015

सं0 22 / नि0सि0(डि0)–14–04 / 2013 / 833—श्री सूर्यदेव पाण्डेय, (आई0 डी0–3436), तत्कालीन सहायक अभियंता, सिंचाई अवर प्रमंडल, बिहियॉ के विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक 71 दिनांक 16.01.2014 द्वारा निम्नांकित प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय कार्यवाही संचालित की गईः–

1. आपके सहायक अभियंता के पद पर सिंचाई प्रमंडल, नावानगर में पदस्थापन के दौरान कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, नावानगर के पत्रांक–241 दिनांक 23.05.2012 द्वारा मलई बराज के डूब क्षेत्र दायॉ सम्पर्क नहर तथा विभिन्न संरचनाओं का सर्वेक्षण करने का निर्देश आपको दिया गया था। निर्देश के बावजूद आपके द्वारा सर्वेक्षण कार्य नहीं किया गया। पुनः कार्यपालक अभियंता के पत्रांक–427 दिनांक 10.09.2012 द्वारा दायॉ एवं बायॉ पहुॅच पथ तथा बायॉ पहुॅच पथ पर एक पथीय सेतु का सर्वेक्षण कर प्राक्कलन समर्पित करने का निर्देश दिया गया। अनेक स्मार के बावजूद भी आपके द्वारा निर्देश का अनुपालन नहीं किया गया।

कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, नावानगर के पत्रांक–496 दिनांक 03.10.2012 द्वारा डूब क्षेत्र का भू–अर्जन प्लान बनाने का निर्देश दिया गया था परन्तु विभिन्न स्मार के बावजूद भी आपके द्वारा अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया।

2. सिंचाई प्रमंडल, नावानगर को मलई बराज योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2012–13 में शीर्ष '4701' अन्तर्गत कुल निधि रू0 142.00 लाख प्राप्त था। उक्त राशि में से रू0 137.57708 लाख ही संवेदक द्वारा कराए गए कार्यों के विरूद्ध व्यय हो सका। आपके द्वारा ससमय विपत्र समर्पित नहीं किए जाने के कारण शेष राशि 442292.00 रूपये प्रत्यर्पण कर दिया गया जिसके लिए आप जिम्मेवार हैं।

3. अति महत्वपूर्ण मलई बराज योजना के कार्यों में अभिरूचि न लेकर बिना विभागीय अनुमति के आपके द्वारा भिन्न–भिन्न प्रखंड कार्यालयों में कार्य करना नियम के विरूद्ध है। जिला पदाधिकारी, बक्सर द्वारा निर्गत प्रतिनियुक्ति आदेशानुसार अपने कार्यों के अतिरिक्त जिला स्तर का कार्य करने का निदेश था परन्तु आपके द्वारा मूल कार्यों में अभिरूचि न लेकर केवल प्रखंड के कार्यों को ही प्राथमिकता दी गई जिसके चलते मलई बराज के महत्वपूर्ण कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

इस प्रकार वरीय पदाधिकारियों के आदेश की अवहेलना, अनुशासनहीनता, कर्त्तव्य में लापरवाही, महत्वपूर्ण कार्यों के निष्पादन में अभिरूचि नहीं लेने के लिए आपकी उदासीनता स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है जिसके लिए आप दोषी हैं।

उक्त मामले में संचालित विभागीय कार्यवाही से संबंधित संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन में उक्त आरोपों को प्रमाणित नहीं पाया गया। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर की

गई। समीक्षा में यह पाया गया कि जिलाधिकारी द्वारा कार्य में सम्मिलित करने की व्यवस्था लगभग सभी जिलों में है जिसके लिए श्री पाण्डेय दोषी नहीं हैं। प्रत्यर्पण भी मात्र 3 (तीन) प्रतिशत है। अतएव इस आरोप को क्षम्य किया जा सकता है परन्तु अनुशासनहीनता के संबंध में लिखित साक्ष्य नहीं रहने के आधार पर इसे क्षम्य नहीं किया जा सकता। उक्त मामले में दिनांक 11.06.2013 को हुई मुख्य अभियंताओं के साथ समीक्षा बैठक में मुख्य अभियंता द्वारा बताया गया कि बार–बार निदेश दिए जाने के बावजूद कतिपय सहायक अभियंताओं द्वारा कार्य में अभिरूचि नहीं ली जाती है जिसके फलस्वरूप अन्य पदाधिकारियों में भी हतोत्साह की भावना उत्पन्न होती है। यह आवश्यक नहीं है कि वरीय पदाधिकारियों द्वारा हरेक कार्य/निदेश के लिए लिखित पत्र निकाला जाय और हरेक अवहेलना पर स्पष्टीकरण निर्गत किया जाय।

अतएव मामले की सम्यक समीक्षोपरान्त श्री सूर्यदेव पाण्डेय (आई0 डी0–3436), तत्कालीन सहायक अभियंता, सिंचाई अवर प्रमंडल, बिहियॉ के विरूद्ध उनकी अनुशासनहीनता के प्रमाणित आरोप के लिए विभागीय अधिसूचना सं0–1906 सह पठित ज्ञापांक 1906 दिनांक 09.12.2014 द्वारा निम्न दंड संसूचित किया गयाः–

1. एक वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

उक्त संसूचित दंड के आलोक में श्री सूर्यदेव पाण्डेय द्वारा पुनर्विचार अभ्यावेदन समर्पित किया गया जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि उनके उपर वरीय पदाधिकारियों के आदेश की अवहेलना कर विभागीय कार्यों की उपेक्षा कर जिला के माध्यम से होने वाले कार्यों में संलग्न कर लेने के कारण स्पष्टीकरण पूछा गया एवं स्पष्टीकरण की समीक्षा के उपरान्त निलंबित किया गया जबकि न तो उनसे स्पष्टीकरण पूछा गया था और न हीं उनके द्वारा वरीय पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना की गई थी। ये सब कुछ तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, नावानगर द्वारा अनियमित कार्य कराने के लिए दबाव की रणनीति के तहत किया गया। आगे उनके द्वारा बताया गया है कि मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, डिहरी के पत्रांक–4003 दिनांक 18.12.2012 द्वारा योजना के कार्यों पर विभाग से आदेश प्राप्त होने तक रोक लगाई गयी थी। मुख्य अभियंता द्वारा कार्यों पर रोक लगाने के बावजूद भी कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, नावानगर द्वारा संवेदक के माध्यम से कार्य को आगे बढाया जा रहा था एवं उनके (श्री पाण्डेय) द्वारा विरोध करने के कारण कार्यपालक अभियंता द्वारा कार्यों में अभिरूचि नहीं लेने का आरोप अभियंताओं की राज्यस्तरीय मिटिंग में लगाया गया। इनमें से तीन पदाधिकारी जिसमें वे भी शामिल थे, के विरूद्ध निलंबित कर विभागीय कार्यवाही चलायी गई जबकि एक पदाधिकारी (श्री धीरेन्द्र कुमार) को छोड़ दिया गया। इसके साथ ही श्री पाण्डेय द्वारा यह भी कहा गया है कि संचालन पदाधिकारी के जॉच के बिन्दुओं में 'अनुशासनहीनता' का बिन्दु भी शामिल था एवं उक्त मामले में संचालन पदाधिकारी द्वारा अनुशासनहीनता का आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया है फिर भी उन्हें उक्त आरोप के लिए दंडित किया गया है। अन्त में उनके द्वारा पुनर्विचार अभ्यावेदन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए दंड से मुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

श्री पाण्डेय से प्राप्त पुनर्विचार अभ्यावेदन की सरकार के स्तर पर समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि श्री पाण्डेय द्वारा अपने पुनर्विचार अभ्यावेदन में जिन बिन्दुओं को उठाया गया है उसका समाधान निर्गत दंडादेश अधिसूचना सं0–1906 दिनांक 09.12.2014 में कर दिया गया है जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि सरकार के स्तर पर संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन की समीक्षा के उपरान्त मात्र अनुशासनहीनता का आरोप प्रमाणित पाया गया है और इसका आधार भी स्पष्ट किया गया है कि यह आवश्यक नहीं है कि वरीय पदाधिकारियों द्वारा हरेक कार्य/निदेश के लिए लिखित पत्र निकाला जाय और हरेक अवहेलना पर स्पष्टीकरण निर्गत किया जाय। दिनांक 11.06.2013 को मुख्य अभियंताओं के साथ समीक्षा बैठक में उनके विरूद्ध की गई प्रतिकूल टिप्पणी के आधार पर अनुशासनहीनता का आरोप प्रमाणित पाते हुए मात्र लघु दंड दिया गया है।

अतः सम्यक समीक्षोपरान्त सरकार द्वारा यह पाया गया कि श्री सूर्यदेव पाण्डेय, तत्कालीन सहायक अभियंता, सिंचाई अवर प्रमंडल, बिहियॉ द्वारा पुनर्विचार अभ्यावेदन में दिया गया तथ्य विचारणीय बिन्दु के अधीन नहीं आता है।

वर्णित परिप्रेक्ष्य में श्री सूर्यदेव पाण्डेय, तत्कालीन सहायक अभियंता, सिंचाई अवर प्रमंडल, बिहियॉ के पुनर्विचार अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए विभागीय अधिसूचना सं0–1906 दिनांक 09.12.2014 द्वारा संसूचित दंड को यथावत रखने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है।

उक्त निर्णय श्री सूर्यदेव पाण्डेय, (आई0 डी0–3436), तत्कालीन सहायक अभियंता, सिंचाई अवर प्रमंडल, बिहियॉ को संसूचित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
मोहन पासवान,
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 663-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in